भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GE 805084

प्रारुप अ

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारुप

हम रामपलट सिंह (अध्यक्ष) एवं झम्मन सिंह (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं बालाजी कालेज ग्राम भभौरा, पोस्ट औड़िहार, जिला गाजीपुर उ0प्र0 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–।

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट – बालाजी कालेज ग्राम भभौरा, पोस्ट औड़िहार, जिला गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा बालाजी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल फार्मेसी कालेज भभौरा औड़िहार गाजीपुर उ0प्र0 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम स्थित ग्राम भभौरा, औड़िहार, गाजीपुर उ0प्र0 में गाटा सं0– 377 रकबा 1.0320 हेक्टेयर भूमि दर्ज है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0– 377 रकबा 1.0320 हेक्टेअर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14.06.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

झम्मन सिंह

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफॅ इण्डिया, नई दिल्ली के नियामों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय महाविद्यालय/ आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ से पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करुंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मै घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY GOVT. OF U.P.

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष